

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1 (पैरा सं. 1.8 देखे)

सेज, इओयू और डीटीए इकाई के बीच शुल्क की तुलना¹³

विवरण	सेज इकाई	इओयू इकाई	डीटीए इकाई
कच्चे माल के आयात पर सीमाशुल्क	इनपुटों, पूंजीगत माल और निर्माण सामग्री पर छूट	इनपुटों और पूंजीगत माल पर छूट	सीमा शुल्क 6 प्रतिशत शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा उपकर 1 प्रतिशत अग्रिम अधिकार के प्रति उपलब्ध कच्ची सामग्री/उपभोग्य पर छूट यदि छूट उपलब्ध नहीं हैं विनिर्माता के लिए-क्रेडिट के रूप से उपलब्ध सीबीडी एवं एसएडी बीसीडी प्रत्येक की लागत हैं।
जूता और चमड़ा विनिर्माण के लिए पूंजीगत माल का आयात	पूंजीगत माल पर सीमाशुल्क नहीं	पूंजीगत माल पर सीमाशुल्क नहीं 1 काल सीमा के बिना पुराने पूंजीगत माल का भी आयात कर सकते हैं।	सशर्त इपीसीजी के अन्तर्गत 0 प्रतिशत ब्लॉक 1 से 4 वर्ष 50 प्रतिशत निर्यात ब्लॉक 5 से 6 वर्ष 50 प्रतिशत निर्यात या सशर्त इपीसीजी के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्लॉक 1 से 6 वर्ष 50 प्रतिशत निर्यात ब्लॉक 7 से 8 वर्ष 50 प्रतिशत निर्यात
उत्पाद शुल्क	इनपुटों, पूंजीगत माल और निर्माण सामग्री पर छूट	इनपुटों और पूंजीगत माल पर छूट	केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा उपकर 1 प्रतिशत उपलब्ध उत्पाद शुल्क का क्रेडिट
सेवा कर	इनपुट सेवाएं छूट/प्रतिदाय	निर्यात सेवाओं पर प्रतिदाय	सेवाओं के निर्यात का प्रतिदाय

¹³ सेज/ईओयू/डीटीए फुटवेयर विनिर्माता कम्पनीयों के बीच शुल्क तुलना

विवरण	सेज़ इकाई	इओयू इकाई	डीटीए इकाई
			सेवा कर सेवा कर 12 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत
आयकर नि. व. 2013-14	पहले पांच वर्षों के लिए कोई आयकर नहीं (18.5 प्रतिशत पर देय एमएटी+शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी 19.055 प्रतिशत) 1 करोड़ आय से अधिक एमएटी (18.5 प्रतिशत पर एमएटी + एससी 5 प्रतिशत+शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी 20.00775) 2 रें 5 वर्षों के लिए आयकर 50 प्रतिशत 16.5 प्रतिशत किन्तु लागू एमएटी 18.5 प्रतिशत 3 रे पांच वर्षों में आयकर का 50 प्रतिशत अर्थात् 16.5 प्रतिशत किन्तु लागू एमएटी 18.5 प्रतिशत	यदि आय 1 करोड़ से अधिक है तब 30 प्रतिशत कर + अधिप्रभार 5 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी दर 30.90 एमएटी लागू हैं यदि आय 1 करोड़ से अधिक है तब प्रभावी दर 32.45 प्रतिशत लाभांश वितरण 15 प्रतिशत+अधिक प्रभार 10 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी दर 16.995	यदि आय 1 करोड़ से अधिक है तब 30 प्रतिशत कर + अधिप्रभार 5 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी दर 30.90 एमएटी लागू हैं यदि आय 1 करोड़ से अधिक है तब प्रभावी दर 32.45 प्रतिशत लाभांश वितरण 15 प्रतिशत+अधिक प्रभार 10 प्रतिशत + शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत प्रभावी दर 16.995
केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी)	शून्य	विनिर्दिष्ट प्रतिशतता के अनुसार प्रतिपूर्ति	4 प्रतिशत
भुखण्डों के पट्टे/लाइसेंस पर स्टेम्प शुल्क	छूट प्राप्त	हाँ	हाँ
वैट	राज्य वैट नियमावली के अनुसार छूट/प्रतिदाय वैट छूटें सेवा उद्यमों को उपलब्ध नहीं हैं इनपुट वैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं क्रेडिट के रूप में वैट उपलब्ध	वैट छूट सेवा उद्यमों को उपलब्ध नहीं हैं इनपुट सेवा उपलब्ध नहीं	वैट क्रेडिट के रूप में उपलब्ध

ईओयू, सेज़ और डीटीए ईकार्डों द्वारा प्राप्त किये गये लाभ

विवरण	सेज़ इकाई	ईओयू इकाई	डीटीए इकाई
स्थान	क्षेत्र में	भारत में कहीं भी (रूपांतरण के लिए अनुमत डीटीए इकाईयां)	भारत में कहीं भी
व्यापार इकाई	अनुमत	अनुमति नहीं	कोई प्रतिबद्धताएं नहीं
न्यूनतम निवेश	शून्य	न्यूनतम ₹ 1 करोड़ (कतिपय छूटों के साथ)	शून्य
एनएफई आवश्यकता		5 वर्षों से अधिक में + एनएफई (संग्रहणीय)	लागू नहीं
डीटीए बिक्रियां	शुल्क + सीवीडी + एसएडी के साथ डीटीए की बिक्रियां एनएफई के अध्यक्षीन	निर्यातित एफओबी माल के 50 प्रतिशत को उत्पाद शुल्क के भुगतान पर अनुमत एनएफई (स्वदेशी कच्चा माल से उत्पादित माल) के अध्यक्षीन डीटीए में बेचा जा सकता है। यदि बेचे गए माल में आयातित माल शामिल है तब सीवीडी के अलावा 50 प्रतिशत बीसीडी+12 प्रतिशत शिक्षा और उच्चतर शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत + एसएडी भुगतान योग्य हैं	उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत पर शिक्षा उपकर 2 प्रतिशत पर उच्चतर शिक्षा उपकर 1 प्रतिशत पर डीटीए फिरती एचएस कोड 64 के लाभ ले सकता है उदाहरणार्थ एचएस कोड 6403 चमड़े के जूतों 9.10 प्रतिशत पर अधिकतम ₹ 230 और 2.30 प्रतिशत पर अधिकतम 58.1 तक जब सेनवेट का उपयोग किया जाए फिरती के अलावा डीटीए 3 प्रतिशत फोकस्ड मार्केट स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है 2 प्रतिशत एमएलएफएमएस के अन्तर्गत अतिरिक्त बोनस 2 प्रतिशत फोकस्ड उत्पाद योजना 2 प्रतिशत
सीमा शुल्क बॉन्डिंग	नहीं	हाँ	लागू नहीं
घरेलू तेल कंपनियों से खरीदे गए ईंधन पर शुल्क फिरती	आवश्यक नहीं	हाँ	हाँ, डीजीएफटी अधिसूचना के अनुसार
सीमाशुल्क अनुपालन का सरलीकरण	सीमाशुल्क द्वारा आयात निर्यात कार्गो की नियमित जाँच नहीं	सीमाशुल्क द्वारा आयात निर्यात कार्गो की नियमित जाँच नहीं	सीमाशुल्क द्वारा आयात निर्यात कार्गो की नियमित जाँच

आयात/निर्यात प्रतिबंध	आयात लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित/रद्द वस्तुओं (अर्थात् पेट्रोल) का आयात किया जा सकता है	आयात लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित/रद्द वस्तुओं (अर्थात् पेट्रोल) का आयात किया जा सकता है	प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात हेतु आयात लाइसेंस आवश्यक है
मौजूदा कर्मचारियों का मौजूदा सुविधाओं से स्थानान्तरण	अनुमत	अनुमत	अनुमत
पूँजीगत वस्तुओं का प्रयोग	पूँजीगत वस्तुओं में 20 प्रतिशत निवेश अनुमत। 20 प्रतिशत की सीमा पार करने पर केवल आयकर में छूट मना किया जाता है	अनुमत	अनुमत
निवेश मंजूरी	सेज इकाईयों के निर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई स्वतः अनुमत	क्षेत्रीय दिशा-निर्देश के अनुसार एफआईपीबी मंजूरी आवश्यक	क्षेत्रीय दिशा-निर्देश के अनुसार एफआईपीबी मंजूरी आवश्यक
लागत वसूली प्रभार	आवश्यक नहीं	हाँ	आवश्यक नहीं
एफटीपी लाभ का अध्याय 3	आवश्यक नहीं	नहीं	हाँ
बुनियादी और भण्डारण व्यय	सेज की व्यवस्था में बनाया गया है	इकाई द्वारा वहन किया जाएगा	लागू नहीं
डीटीए से आपूर्तियाँ	छूट प्राप्त	सीएसटी की अदायगी	--
निर्यात	डीटीए इनपुट को भौतिक निर्यात माना जाता है	डीटीए इनपुट को निर्यात माना जाता है	किसी दावे हेतु भौतिक निर्यात किया जाना
निकासी	जोन से बाहर आना	बाकी इकाई जहाँ यह स्थित है	अनुमत

परिशिष्ट 2 (संदर्भ पैराग्राफ सं. 2.2)

ईओयूज का निष्पादन

निर्यात प्रोत्साहन की हानि	डीईपीबी, फिरती, डीएफआरसी और टारगेट प्लस योजना आदि जैसे निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं हैं।
अधिक निगरानी एवं पर्यवेक्षण	चूँकि सभी निकासी और आवक सरकारी कर्मचारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा निगरानी में है अतः सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिकारी लगातार निगरानी प्रक्रिया समय को और बढ़ाता है।
अतिरिक्त उगाही	ईओयू योजना के तहत लागत वसूली प्रभारों की उगाही।
अतिरिक्त रिकार्ड रखा जाए	रिकार्ड रखना अनिवार्य, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क आयुक्त को नियमित सूचना देना।
लंबा निकासी विकल्प	निकासी विकल्पों हेतु लंबे और विस्मयकारी प्रावधान।
निकासी पर जुर्माना, यदि कोई हो	जुर्माना असम्भव है, यदि इकाई संबंधित अवधि के दौरान सकारात्मक एनएफई और एलओपी की अन्य शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है।
नियत कार्य प्रक्रिया	इकाई के परिसर के बाहर से नियत कार्य करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियायें।
अन्य मुद्दे	छूट प्राप्त वस्तुएँ बनाने वाली इकाईयाँ बदतर हैं क्योंकि उन्हें तैयार माल अथवा स्क्रेप की निकासी पर शुल्क का भुगतान करना होगा चाहे वे भारत में ही आयातित हों, जो इकाईयों की वस्तुओं को घरेलू डीलरों से सस्ता बनानी हैं।

परिशिष्ट 3 (संदर्भ पैराग्राफ 2.2)

ईओयूज का निष्पादन

डीसी	इकाई का नाम	शुल्क की कम उगाही (₹ लाख में)	अनियमितता की प्रकृति
एसईईपीजेड सेज	मै. स्मरूयों आर्गेनिक्स, सोलापुर	19.11	रियायती दर पर मंजूर तैयार माल
एसईईपीजेड सेज	मै. विर्गो वाल्ट्स एण्ड कंट्रोल्ल्स लि. पुणे	4.75	तैयार माल के भण्डार पर रियायती दर पर अदा शुल्क
एसईईपीजेड सेज	मै. विर्गो वाल्ट्स एण्ड कंट्रोल्ल्स लि. पुणे	63.15	गैर तैयार माल के भण्डार पर रियायती दर पर अदा शुल्क
एनएसईजेड	1 मै. केईआई इंडस्ट्रीज और	6.01	मूल्यहास की गणना ठीक से नहीं की गई।
	2 मै. स्किपर इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि., इकाई-II, भिवाडी		
फाल्टा सेज	मै. नफर चन्द्र जूट मिल्स लिमिटेड, नादिया	13.06	मूल्यहास की गणना ठीक से नहीं की गई।
सेज	मै. सिग्मा ओल्डिच केमिकल्स प्रा. लि., बैंगलोर	2.20	मूल्यहास की गणना ठीक से नहीं की गई।
एसईईपीजेड सेज	मै. गैलेक्सी सरफैक्टेंट्स, नवी मुंबई	76.30	पूँजीगत माल पर अदा शुल्क पर 50 प्रतिशत की बजाए 100 प्रतिशत क्रेडिट
फाल्टा सेज	मै. चैतन्य मिनरल्स, जयपुर	4.23	सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 2(ए) के तहत पूँजीगत वस्तुओं में मोटर वाहन शामिल नहीं हैं
एनएसईजेड	मै. स्किपर इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि. इकाई-II, भिवाडी	6.24	स्वदेशी पूँजीगत वस्तुओं को ईपीसीजी के तहत लिया गया था।
	कुल	195.05	

परिशिष्ट 4 (संदर्भ पैरा सं. 4.7)

बांड का अनुपयुक्त/गैर निष्पादन

(₹ लाख में)

डीसी	इकाई (मै.)	अवधि	शुल्क मुक्त खरीद का मूल्य	छोड़ा गया शुल्क	B-17 बांड की निष्पादित राशि	निष्पादित की जाने वाली B-17 बांड राशि	बांड राशि में कमी	कमी की प्रतिशतता
एनएसईजेड, नोएडा	आकृति मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि., नीमराना	2012-13	251.56	35.86	50	71.72	21.72	30.28
एनएसईजेड, नोएडा	पेरिस एलिसिस इंडिया प्रा. लि., जयपुर	2008-09	1162.71	276.02	140	552.04	412.04	74.63
		2009-10	1215.09	225.12	140	450.24	310.24	68.90
		2010-11	1295.93	249.81	140	499.62	359.62	71.97
		2011-12	1533.74	316.44	140	632.88	492.88	77.87
		2012-13	2284.79	558.22	140	1116.44	976.44	87.46
एनएसईजेड, नोएडा	ए. आई. मेटल्स प्रा. लि., भिवाड़ी	2008-09	438.42	64.50	125	129.00	4.00	3.10
		2009-10	1353.25	170.10	125	340.20	215.20	63.25
		2010-11	901.08	132.57	125	265.13	140.13	52.85
		2011-12	1292.04	190.09	125	380.17	255.17	67.12
		2012-13	6151.98	1036.88	125	2073.76	1948.76	93.97
एनएसईजेड, नोएडा	राजस्थान कास्टनार्स प्रा. लि.	2008-09	1752.56	91.32	25	182.64	157.64	86.31
		2009-10	1167.60	93.34	25	186.68	161.68	86.61
		2011-12	1656.60	54.37	25	108.74	83.74	77.01
वीएसईजेड, विशाखा-पट्टनम	मार्स थेराप्यूटिक्स एण्ड केमिकल्स लि.	2009-10	उ. न.	271.91	240	उ. न.	224.74	93.64
		2010-11	उ. न.	568.39	240	उ. न.	463.90	193.29
		2011-12	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
कुल			22457.35	4334.93	1930	6989.26	6227.00	
एनएसईजेड, नोएडा	एलायड इंस्ट्रूमेंट प्रा. लि.	2009-14	बांड रजिस्टर नहीं बनाया गया					
एनएसईजेड, कोच्ची	कोड वर्क सैल्यूशनस प्रा. लि. कक्नाड	2009-14	बांड रजिस्टर नहीं बनाया गया					